लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1183

02 मई, 2016 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

1183. श्री जे. जे. टी. नट्टर्जी:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में संयंत्र-वार क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार की देश में इस्पात क्षेत्र का पुनरुद्धार करने की कोई विशेष योजना/विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र की संबंधित कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक सोच विचारों और बाजार गतिशीलता के आधार पर लिये जाते है। स्टील ऑथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने अपने स्वयं के स्रोतों से वित्तपोषित आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम शुरू किये है। सेल के राउरकेला, इस्को बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो और सेलम इस्पात संयंत्रों तथा आरआईएनएल के विजाग इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य पूरा हो गया है। सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य के दिसम्बर, 2016 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। आरआईएनएल ने भी विजाग इस्पात संयंत्र की विद्यमान प्रमुख संसाधन यूनिटों का आधुनिकीकरण कार्य आरम्भ कर लिया है।

(ग) और (घ): सरकार ने इस्पात उद्योग को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं है:-

(i) सरकार ने कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एमएमडीआर अमेंडमेंड एक्ट, 2015 और उसके तहत नियम जारी किये है जिसमें 'विशेष अंतिम उपभोक्ता' के लिए लौह अयस्क का आवंटन किये जाने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा भी इस्पात क्षेत्र के लिए सस्ती कीमतों पर लौह अयस्क की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू करके और प्रक्रिया में तेजी लाई जानी है।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में केवल गुणवत्ता युक्त इस्पात का उत्पादन या आयात हो, इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, मार्च, 2012 और दिसम्बर, 2015 में जारी किये गये है।

(iii) इस्पात क्षेत्र पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जुलाई, 2015 में 5:25 योजना का विस्तार किया है जिसके द्वारा अवसंरचना और प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में परियोजनाओं को उनके आर्थिक कार्यशील जीवन अथवा परियोजना की रियायती अवधि के आधार पर ऋण चुकाने के लिए लम्बी अवधि अर्थात 25 वर्ष और तत्पश्चात् प्रत्येक 5 वर्षो में आवधिक पुनवित्तपोषण की अनुमति प्रदान की गई है।

(iv) 173 इस्पात उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्त लगाई गई है ताकि घरेलू उत्पादकों को उनके नुकसान जैसा कि उत्पादकों के मार्जिन में गिरावट से स्पष्ट होता है, के विरूद्ध प्रतिस्पर्धा का समान अवसर प्रदान किया जा सके।

(v) केन्द्रीय बजट 2015-16 में फ्लैट और नॉन-फ्लैट दोनों इस्पात पर बेसिक सीमा शुल्क की उच्चतम दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।

(vi) इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टील (फ्लैट एवं लांग), स्टेनलैस स्टील (लांग) और नान-अलॉय लांग उत्पाद पर आयात शुल्क बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत (5 प्रतिशत से) किया गया तथा नान अलॉय और अन्य अलॉय फ्लैट उत्पादों पर यह शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत (7.5 प्रतिशत से) किया गया है इसे अगस्त, 2015 में पुन: संशोधित किया गया। वर्तमान में आयात शुल्क फ्लैट स्टील पर 12.5 प्रतिशत, लांग स्टील पर 10 प्रतिशत और सेमी फिनिश्ड स्टील उत्पादों पर 10 प्रतिशत लागू है।

(vii) स्टेनलैस स्टील के कतिपय किस्मों के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के चीन ($ 309 प्रति टन), कोरिया ($ 180 प्रति टन) और मलेशिया ($ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई गई है।

(viii) 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वायलों में नान अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर मार्च, 2016 में 20 प्रतिशत का सुरक्षोपाय शुल्क लगाया गया है।

***